न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 27/2023 G.C.M.S. No. 2023/75 दर्ज दिनांक : 28.03.2023

अपीलार्थिगण:

1. प्रवीण सोलंकी पुत्र भागीरथजी सोलंकी, जाति माली, उम्र 23 वर्ष, निवासी बेरा भुतियों की बावड़ी, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. श्री दशनामी गोस्वामी समाज जैतारण मण्डल ए जरिये अध्यक्ष नेमापुरी पुत्र शंकरपुरी गोस्वामी निवासी बिरोल, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
2. मृत जोगापुरी पुत्र नेमापुरी के कायम मुकाम :–
   2/1 अशोकपुरी पुत्र स्व. जोगापुरीजी
   2/2 कानापुरी पुत्र स्व. जोगापुरीजी
   2/3 सरोज पुत्री स्व. जोगापुरीजी
   2/4 छोटीदेवी पुत्री स्व. जोगापुरीजी
3. पप्पुपुरी पुत्र भंवरपुरीजी
4. गणपतपुरी पुत्र भंवरपुरीजी
5. पंचमपुरी पुत्र भंवरपुरीजी
6. मुन्नी पुत्री भंवरपुरीजी
7. सुरमा पुत्री भंवरपुरीजी
8. लीला पुत्री भंवरपुरीजी
9. गुड़ीया पुत्री भंवरपुरीजी
10. अन्नू पुत्री भंवरपुरीजी
11. भीकापुरी पुत्र शंकरपुरीजी
12. कैलाशपुरी पुत्र पुखापुरीजी
13. मदनपुरी पुत्र पुखापुरीजी
14. चांदुपुरी पुत्र सोनपुरी
15. उगमपुरी पुत्र पुखापुरीजी
16. मृत टीमापुरी पुत्र सोनुपुरी के कायम मुकाम :–
    16/1 बाबुपुरी पुत्र स्व. टीमापुरीजी
    16/2 सम्पतपुरी पुत्र स्व. टीमापुरीजी
17. राजेन्द्रपुरी पुत्र स्व. टीमापुरीजी
    जातिगण गोस्वामी, निवासीगण जैतारण, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
18. तेजाराम पुत्र बाबुराम, जाति जाट, निवासी झुझाण्डा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
19. दुदाराम पुत्र नाथूरामजी, निवासी लौटोती, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

20. भंवरलाल पुत्र मंगलारामजी, जाति कुम्हार, निवासी जैतारण, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
21. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व अपील संख्या : 32/2023 G.C.M.S. No. 2023/148 दर्ज दिनांक : 27.04.2023

अपीलार्थिगण:

भंवरलाल पुत्र मंगलाराम, उम्र 69 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी जैतारण, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

श्री दशनामी गोस्वामी समाज जैतारण मण्डल ए जरिये अध्यक्ष नेमापुरी पुत्र शंकरपुरी जाति गोस्वामी, उम्र 53 वर्ष, निवासी बिरोल, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर वगैरह।

राजस्व अपील संख्या : 29/2023 G.C.M.S. No. 2023/101 दर्ज दिनांक : 04.04.2023

अपीलार्थिगण:

भीकापुरी पुत्र शंकरपुरी, उम्र 71 वर्ष, जाति गोस्वामी, निवासी जैतारण, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

श्री दशनामी गोस्वामी समाज जैतारण मण्डल ए जरिये अध्यक्ष नेमापुरी पुत्र शंकरपुरी जाति गोस्वामी, उम्र 53 वर्ष, निवासी बिरोल, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर वगैरह।

राजस्व अपील संख्या : 28/2023 G.C.M.S. No. 2023/100 दर्ज दिनांक : 04.04.2023

अपीलार्थिगण:

1. मदनपुरी पुत्र पुखापुरी के विधिक वारिस :–
1/1 सुरेशपुरी पुत्र मदनपुरी
1/2 दिलीपपुरी पुत्र मदनपुरी
1/3 सुरेन्द्रपुरी पुत्र मदनपुरी, जातिगण गोस्वामी, निवासीगण जैतारण, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

श्री दशनामी गोस्वामी समाज जैतारण मण्डल ए जरिये अध्यक्ष नेमापुरी पुत्र शंकरपुरी जाति गोस्वामी, उम्र 53 वर्ष, निवासी बिरोल, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर वगैरह।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 238/2019 बअनवान श्री दशनामी गोस्वामी समाज जैतारण बनाम जोगापुरी के कायम मुकाम अशोकपुरी वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.02.2023 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी।

उपस्थित–

1. श्री नारायणलाल कुमावत विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री हरिराम नेहरा, श्री संदीप नेहरा, श्री हीरालाल परिहार विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 24.03.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह उपर्युक्त चार अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 238/2019 बअनवान श्री दशनामी गोस्वामी समाज जैतारण बनाम जोगापुरी के कायम मुकाम अशोकपुरी वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.02.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92–ए राज. काश्तकारी अधिनियम का रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 से 21 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया गया कि सरहद मौजा रतनपुरा, पटवार हल्का जैतारण, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 39–02 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है तथा वादी व प्रतिवादीगण सभी माफिक अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा मौके पर उपरोक्त आराजी पक्षकारान अपनी सहमति से अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। आपसी सहमति से उक्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा कर रखा है, परन्तु कानूनन बंटवाड़ा नहीं हुआ है। वादी अपने हक हिस्से की आराजी में से वादी 4 बिस्वा भूमि पर समाज के लिए छात्रावास बनाना चाहते है, जिसमें बिना बंटवाडा करवाये संपरिवर्तन में समस्या आ रही है, क्योंकि जब तक उक्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो जाता, तब तक वादी अपनी आराजी में इस तरह के काम नहीं कर सकता है। बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा हुए प्रतिवादीगण आये दिन वादी की आराजी में दखलदांजी करते है तथा वादी के छात्रावास निर्माण में रूकावट डालते है तथा वादी को ऐलानिया धमकी देते हैं कि वर्णित आराजी का बिना बंटवाडा करवाये इसमें छात्रावास नहीं बनाने देंगे एवं किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अजनबी क्रेता को बेचाण बक्सीस कर देंगे और फण्ट की जगह पर अपना कब्जा जमा लेंगे, अजनबी क्रेता को बेचाण बक्सीस कर देंगे, प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब ना हो जाए इसलिए अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वाद बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, साथ में स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेण्ट संख्या 2/1 से 2/4, 11 से 15, 16/1 से 16/2, 17, 20 बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 से 10, 18 की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दी गई। रेस्पोंडेण्ट संख्या 18 ने इकबालिया जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री वर्णित भूमि के खसरा संख्या 68 रकबा 39–02 बीघा किस्म बारानी दोयम में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व शेष रेस्पोंडेण्ट के हक, हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग किये जाने, मौके पर नापचौक करके नेखमबंदी व पत्थरगढी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाये जाने हेतु रेस्पोंडेण्ट संख्या 21 तहसीलदार को आदेशित किया। रेस्पोंडेण्ट संख्या 21 द्वारा आदेश की पालना में माफिक आदेश पालना रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। अपीलाण्ट ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 14 चांदुपुरी पुत्र सोनपुरी का उपरोक्त वर्णित खसरे में 52/391 वां हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विक्रय–विलेख दिनांक 03.11.2022 द्वारा खरीद किया गया। उपरोक्त विक्रय–विलेख के आधार पर अपीलाण्ट का खातेदारी भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया तथा रेस्पोंडेण्ट संख्या 14 से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के नजरी नक्शा में वर्णित 68/4 के स्थान का कब्जा प्राप्त किया गया, यानि रेस्पोंडेण्ट संख्या 14 द्वारा नजरी नक्शे में वर्णित 68/4 हिस्से की 52/391 हिस्से की भूमि अपीलाण्ट को जरिये विक्रय–विलेख बेचान की गई, जिसके अनुसार अपीलाण्ट नजरी नक्शे में 68/4 हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त है। अपीलाण्ट ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 14 का नजरी नक्शे में 68/4 हिस्सा खरीदने के पश्चात् मौके पर लाखों रूपये लगाकर चारदीवारी करवाई गई। चूंकि रेस्पोंडेण्ट संख्या 21 तहसीलदार महोदय द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शे में रेस्पोंडेण्ट संख्या 14 की भूमि खसरा संख्या 68/4 के स्थान पर खसरा संख्या 68 में रख दी गई, परन्तु रेस्पोंडेण्ट संख्या 14 का शुरू से ही कई वर्षों से लगातार नजरी नक्शे में वर्णित खसरा संख्या 68/4 पर कब्जा व काश्त है तथा खसरा संख्या 68/4 की भूमि ही अपीलाण्ट को संपूर्ण बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया। इस प्रकार रेस्पोंडेण्ट संख्या 21 द्वारा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत बंटवाड़ा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेण्ट संख्या 14 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करते समय रेस्पोंडेण्ट संख्या 14 मौके पर नहीं था, न ही बंटवाड़ा प्रस्ताव पर रेस्पोंडेण्ट संख्या 14 के हस्ताक्षर है, न ही बंटवाड़ा प्रस्ताव रेस्पोंडेण्ट संख्या 14 के सामने बनाया गया है। इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके व कब्जे के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट की खरीदसुदा वर्णित भूमि खसरा संख्या 68/4 को अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 18 तेजाराम पुत्र बाबुराम जाट के हिस्से में गलत व मौके के विपरीत दी गई है, इसलिए रेस्पोंडेण्ट संख्या 18 द्वारा अपीलाण्ट के खरीदसुदा खसरा संख्या 68/4 हिस्से की भूमि में दखलदांजी करता है तथा मौके पर अपीलाण्ट के कब्जे व काश्त में बाधा उत्पन्न करता है तथा कहता है कि उपरोक्त भूमि मेरे पक्ष में बंटवाड़ें में आने से मेरे द्वारा काश्त की जाएगी तथा अपीलाण्ट को मौके से बेदखल करने हेतु उतारू है। चूंकि अपीलाण्ट ने खरीदसुदा भूमि पर लाखों रूपये लगाकर चारदीवारी की है तथा कब्जा व काश्त कर रहा है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा व काश्त के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित की है, जो खारिज योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोंडेण्ट संख्या 14 से दिनांक 03.11.2022 को खसरा संख्या 68/4 के संपूर्ण हिस्से की भूमि खरीद की हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं होने से उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला है। अपीलाण्ट ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 14 का खसरा संख्या 68/4 हिस्सा खरीद करने से निर्णय व डिक्री में आवश्यक पक्षकार था, परन्तु उसे पक्षकार बनाये बिना, साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है, जो खारिज योग्य है। इसलिए अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस हेतु अलग से आवेदन मय शपथ पत्र पेश है। यदि अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती हैं तो रेस्पोंडेण्ट संख्या 18 व अन्य रेस्पोंडेण्ट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की ओट में खसरा संख्या 68/4 की भूमि पर अपीलाण्ट को बेदखल कर देगा, अपीलाण्ट के कब्जे व काश्त में दखलंदाजी करेगा, जिससे मौके पर लड़ाई झगड़ा होगा तथा रेस्पोंडेण्ट संख्या 18 व अन्य रेस्पोंडेण्ट्स द्वारा अपीलाण्ट की खरीदसुदा खसरा संख्या 68/4 की भूमि को आगे से आगे बेचाण हस्तान्तरण कर देगा, अजनबी व्यक्ति को कब्जा सौंप देगा, जिससे अपीलाण्ट अपने साम्पेतिक अधिकारों से हमेशा के लिए वंचित हो जाएगा, जिससे अपीलाण्ट को अपूर्णनीय अशोधनीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सकेगा, इसलिए अपीलाण्ट के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपर्युक्त चारों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही प्रकरण में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत होने तथा वादग्रस्त आराजी विवाद का विषय व पक्षकारान सारवान रूप से एक ही होने से प्रकरण में परस्पर विरोधाभासी निर्णय नहीं हों एवं निर्णय में समरूपता रहें, अतः चारों अपील परस्पर संयोजित की जाकर एक साथ निर्णित की जा रही हैं।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपील संख्या 27/2023 के अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 14 से दिनांक 03.11.2022 को खसरा संख्या 68/4 के संपूर्ण हिस्से की भूमि खरीद की हैं। परंतु अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं होने से सुनवाई का मौका नहीं मिला। अतः अपीलांट प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2023 से पूर्व ही दिनांक 03.11.2022 को खसरा संख्या 68/4 में रेस्पोंडेंट संख्या 14 के संपूर्ण हिस्से का पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय कर लिया गया। अतः अपीलांट वादग्रस्त आराजी में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.09.2022 को वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाकर माफिक राजस्व रिकॉर्ड भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करते हुए तहसीलदार जैतारण को मुताबिक प्राथमिक डिक्री राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।

4. सभी अपीलांट्स द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि तहसीलदार जैतारण द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में वादग्रस्त आराजी पर मौके पर उपस्थित होकर स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया, विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सभी सहखातेदारान को मौके पर उपस्थित होने के लिए नोटिस/सूचना नहीं दी गई तथा तहसीलदार द्वारा सहखातेदारान की गैर–मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। जिसमें राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना त्रुटिपूर्ण विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया। जो काबिल अपास्त है।

5. पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार जैतारण द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने बाबत कोई नोटिस/सूचनापत्र जारी नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर रेस्पोंडेंट संख्या 1, 18, 15 व 16/2 के उपस्थित होने व हस्ताक्षर का अंकन है। शेष किसी पक्षकारान की उपस्थिति/अनुपस्थिति व उपस्थिति के बावजूद हस्ताक्षर करने से इंकार के संबंध में कोई अंकन नहीं हैं। जबकि विभाजन के प्रकरण में यह आज्ञापक प्रावधान है कि संबंधित तहसीलदार द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिनांक नियत करते हुए संबंधित समस्त खातेदारान को सूचित करते हुए मौके पर उपस्थित होकर मुताबिक प्राथमिक डिक्री व नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा उक्त आज्ञापक विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री दूषित होने से पुष्टियोग्य नहीं हैं। अतः अपीलांट्स का उक्त उज्र सारवान होने से स्वीकार योग्य है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 14 चांदुपुरी पुत्र सोहनपुरी से खसरा संख्या 68 में से संपूर्ण 52/391 हिस्सा पंजीबद्ध विक्रय–विलेख दिनांक 03.11.2022 को क्रय कर लिया गया तथा अपीलांट क्रेता का नाम भू–अभिलेख में अमलदरामद हो गया। इसके बावजूद अपीलांट को पक्षकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

संयोजित किए बिना तथा अपीलांट खातेदार को सूचित किए बिना तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो पुष्टियोग्य नहीं हैं।

7. अपील अपीलांट्स के अवलोकन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में लिए गए अन्य उजरात प्राथमिक डिक्री एवं इससे पूर्व की प्रक्रिया से संबंधित है। जिसके संबंध में अंतिम डिक्री के अपील के स्तर पर उज्र लिया जाना स्वीकार्य नहीं हैं। अतः अपीलांट के शेष उजरात स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किये जाते हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि चारों अपील अपीलांट्स बखूबी साबित होने व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने से चारों अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण में अपीलांट प्रवीण सोलंकी पुत्र भागीरथ सोलंकी को प्रतिवादी संख्या 14 के स्थान पर पक्षकार संयोजित करते हुए मुताबिक प्राथमिक डिक्री एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 व इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करते हुए संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर समस्त अभिलिखित खातेदारान को सूचित करते हुए मौके पर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः उपर्युक्त चारों अपील अपीलांट्स अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित व सारवान होने से स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 238/2019 बअनवान श्री दशनामी गोस्वामी समाज जैतारण बनाम जोगापुरी के कायम मुकाम अशोकपुरी वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.02.2023 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादपत्र में अपीलांट प्रवीण सोलंकी पुत्र भागीरथ सोलंकी को प्रतिवादी संख्या 14 के स्थान पर पक्षकार संयोजित करते हुए मुताबिक प्राथमिक डिक्री एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 व इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करते हुए संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर समस्त अभिलिखित खातेदारान को सूचित करते हुए मौके पर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है, कि वे 30.04.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। निर्णय की एक प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में रखी जावें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से चार कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner